रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122023-250854
CG-DL-E-23122023-250854

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5207] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945
No. 5207] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSA 1, 1945

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5437(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 28 जून, 2023 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2796 (अ), तारीख 26 जून, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन जनता से आक्षेप आमंत्रित करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, ''दि ट्रिब्यून'' और ''अजीत'' में तारीख 26 जुलाई, 2023 को प्रकाशित किया गया था;

और, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपधारा (2) के अनुसार,–

(i) सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह घोषणा करती है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; और

(ii) यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इस पर आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिलाः लुधियाना

तालुका का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	भू–स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
समराला	रूपालों	निजी	कृषि	771	0.0800	हरदविन्द्र सिंह पुत्र रचपाल सिंह जितेन्द्रवीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह रवीन्द्रजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह

[फा. सं. 2023/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2449]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2023

S.O. 5437(E).— WHEREAS by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O.2796 (E), dated the 26th June, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th June, 2023 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Ludhiana in the State of Punjab;

AND WHEREAS, the substance of the said notification for inviting objections from public thereby was published in daily newspapers, namely "The Tribune" and "Ajit", dated 26th July, 2023 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

AND WHEREAS, no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

AND WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and in pursuance of sub-section (2), of section 20E of the said Act, the Central Government,-

(i) upon receipt of the said report of the competent authority, hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and

(ii) hereby declares that on publication of this notification, the lands specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely upon it free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Ludhiana in the State of Punjab.

DISTRICT: LUDHIANA

Name of Taluka	Name of Village	Type of Land	Nature of Land	Survey number	Area in Hectares	Name of Land owner/interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Samrala	Rupalon	Private	Agriculture	771	0.0800	Hardivender Singh S/o Rachpal Singh Jitenderveer Singh S/o Gurdev Singh Ravinderjeet Singh S/o Gurdev Singh.

[F. No. 2023/LML-II/12/2/EC/2449]

PANKAJ TYAGI, Ex. Dir. (L&A)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.23 16:25:36 +05'30'